

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in  
क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 13944-14137 दिनांक :- 10/04/2019

आयुक्त नगर निगम समस्त  
आयुक्त नगर परिषद समस्त  
अधिशायी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय:-कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट (C&D waste) को पृथक से इकट्ठा कर उसका प्रोसेसिंग /रिसाइकलिंग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 10.04.2019 को दिए गए निर्देशों की पालना में।

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की पालना में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में प्रत्येक नगरीय निकाय को निकाय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट (C&D waste) को पृथक से इकट्ठा करने हेतु स्थल का चयन कर प्रोसेसिंग / रिसाइकलिंग हेतु आवश्यक मशीनरी/संसाधन लगाते हुए कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट (C&D waste) मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाना है कि आवश्यक भूमि की व्यवस्था करनी है यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो तो आवंटन हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर से संपर्क कर कार्यवाही करावे।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 55(Engg./CE/DLB/18/85035-85227 दिनांक 13.12.2018 द्वारा आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि C&D waste को solid waste में mix होने के कारणों को उल्लेखित करते हुए उसको अलग से C&D waste collection point बनाकर उसका उपयोग करने व recycling की कार्यवाही करनी है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी Utilisation of Recycled Produce of Construction & Demolition Waste के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

C&D waste को reuse करने का प्रत्येक सिटी का C&D waste management rules 2016 तथा केन्द्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार एक्शन प्लान बनाया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावें।

संलग्न:- Guideline C&D waste management rules 2016

Guideline C&D waste management guidelines

Guideline Utilisation of Recycled Produce of Construction & Demolition

Waste



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 14138 - 14187

दिनांक :- 10/04/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. सचिव, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल।
6. जिला कलेक्टर, समस्त।
7. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
9. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त।
10. प्रोगामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।



(भूपेन्द्र माथुर)

मुख्य अभियंता